

पुनर्विलोकन याचिका क्र.

प्रस्तुती दिनांक - 28-5-14

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प इन्दौर के समक्ष

दिनांक 2038. PBR/14

श्रीमती अनुलता पति अनूप हार्डिया

निवासी - हार्डिया कम्पाउण्ड, इन्दौर

— आवेदक

विरुद्ध

श्री. महेन्द्र सिंह गुजर  
प्रथी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 29/5/14  
को प्रस्तुत

19-6-14

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, इन्दौर

334/29-5-2014

2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार, इन्दौर

3. अयोध्याबाई पति बबूलसिंह मृतक तर्फे वारिस :-

- 1- पोपसिंह पिता मानसिंह
- 2- शंकरसिंह पिता मानसिंह
- 3- भागीरथ पिता मानसिंह
- 4- कन्हैयालाल पिता मानसिंह
- 5- गंगाराम पिता मानसिंह

सभी निवासी - ग्राम मुण्डलादोसदार, तहसील व जिला इन्दौर

— अनावेदकगण

पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू-राजस्व संहिता



माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्र. आर-4133-पीबीआर/2013 में पारित आदेश दि. 27.03.2013 के पुनर्विलोकन हेतु सदर पुनर्विलोकन याचिका आवेदक की ओर से निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है -

Anu Hardia

- 2 पर

Handwritten signature and date 2/5/14

आवेदक काया  
श्री. गुजर  
17-6-14




न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 2038-पीबीआर/14

जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-3-2018	<p>आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय का आदेश दिनांक 27-3-2014 में मात्र अपर आयुक्त के आदेश की वैधानिकता पर विचार किया गया था, जबकि निगरानी मूलतः कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी, इसलिए रिव्यु ग्राह्य की जाती है । इस न्यायालय का आदेश दिनांक 27-3-2014 निरस्त किया जाता है । मूल निगरानी प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाता है । यह रिव्यु प्रकरण समाप्त किया जाता है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>